

## सविलि सेवा में पब्लिसिटी स्टंट

राज्य वधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक की भूमिका नभाने वाले एक IAS अधिकारी ने आधिकारिक सरकारी वाहन के सामने खड़े होकर ली गई अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर साझा कर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।

हालाँकि चुनाव आयोग ने अधिकारी के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर कड़ी आपत्तव्यक्त की और उसे तुरंत सामान्य पर्यवेक्षक के कर्तव्यों से मुक्त कर दिया। साथ ही अगली सूचना तक चुनाव संबंधी किसी भी ज़िम्मेदारी से वंचित कर दिया।

अधिकारी को तत्काल अपना नरिवाचन क्षेत्र छोड़ने का नरिदेश दिया गया। इसके अतरिकित सोशल मीडिया पोस्ट में दिखाई गई कार सहति राज्य के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रदान की गई सभी सुवधिएँ वापस ले ली गई।

बहरहाल, अधिकारी ने बयान दिया कि उसके द्वारा सोशल मीडिया पर कयि गए पोस्ट में कुछ भी अनुचति नहीं था और ऐसा करने की मंशा के बारे में स्पष्टीकरण दिया। उसने कहा, "एक लोक सेवक का अनूय सार्वजनिक अधिकारियों के साथ आधिकारिक ड्यूटी के दौरान जनता द्वारा वतितपोषति वाहन का उपयोग करना तथा जनता के साथ तस्वीरें साझा करना प्रचार या आत्म-प्रचार के लयि नहीं था।"

क्या आपके अनुसार एक लोक सेवक का सोशल मीडिया पर अपने आधिकारिक कर्तव्यों को साझा करने का कार्य संभावति रूप से सविलि सेवाओं के लयि आचार संहति का उल्लंघन है? उपरोक्त परदृश्य में आप सरकारी कार्यालयों में वभिन्न स्तरों पर अधिकारियों के लयि किस प्रकार के प्रशक्तिषण का सुझाव देंगे?